



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102026-277340
CG-DL-E-22102026-277340

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 833]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 21, 2026/आश्विन 29, 1948

No. 833]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2026/ASVINA 29, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2026

सा.का.नि.904(अ).— केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियम में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाले आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियमावली, 2026 है।

(2) परंतु इन नियमों में अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 96 के उप-नियम 11 के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम 12 और परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(12) 1 अक्टूबर 2028 को या उसके बाद विनिर्मित एम1 और एन1 श्रेणियों के वाहन, और यदि उनमें उन्नत आपातकालीन ब्रेकिंग प्रणाली (एईबीएस) संस्थापित हैं, तो वे समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-185 के अनुरूप होंगे।

बशर्ते कि, नए मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर 2030 को या उसके बाद और सभी मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर 2032 को या उसके बाद विनिर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों में समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-185 के अनुरूप उन्नत आपातकालीन ब्रेकिंग प्रणाली फिट की जाएगी।”

3. उक्त नियमावली में, नियम 98 के, उप-नियम (3) में, पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे:-

“बशर्ते यह भी कि, 1 अक्टूबर 2027 को या उसके बाद विनिर्मित वाहनों के लिए, स्टीयरिंग व्हील रहित तीन-पहिया वाहनों, मोटर साइकिलों और दिव्यांगजन हेतु वाहनों (इनवैलिड कैरिज) को छोड़कर, सभी मोटर वाहनों के स्टीयरिंग संचालन (स्टीयरिंग एफर्ट) समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-193 के अनुरूप होगा।

बशर्ते यह भी कि, 1 अक्टूबर 2027 को या उसके बाद विनिर्मित एम1 श्रेणी के वाहन, यदि उनमें स्वचालित निर्देश-आधारित स्टीयरिंग कार्यक्षमता (एसीएसएफ) फिट की गई है, तो वे समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-193 के अनुरूप होंगे।

बशर्ते यह भी कि, परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले एम1 श्रेणी के वाहन, जो 1 अक्टूबर 2029 को या उसके बाद विनिर्मित हैं, उनमें समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-193 के अनुरूप स्वचालित निर्देश-आधारित स्टीयरिंग कार्यक्षमता (एसीएसएफ) फिट की जाएंगी।”

4. उक्त नियमावली में, नियम 98 में, उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-नियम (6) और परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(6) 1 अक्टूबर 2027 को या उसके बाद विनिर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों में यदि आपातकालीन लेन कीपिंग प्रणाली (ईएलकेएस) का प्रावधान किया गया है, तो वह समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-191 (भाग 1) के अनुरूप होंगे।

बशर्ते कि 1 अक्टूबर 2029 को या उसके बाद विनिर्मित परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले एम1 श्रेणी के वाहनों में समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-191 (भाग 1) के अनुरूप आपातकालीन लेन कीपिंग प्रणाली (ईएलकेएस) फिट की जाएगी।”

5. उक्त नियमावली में, नियम 124 के उप-नियम (4) में, तालिका में, क्रम संख्या 10 में, स्तंभ 3 में, शब्द, अंक और कोष्ठक “नियम 125(1-क)” के पश्चात् शब्द, अंक और कोष्ठक, नियम 125(1)” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियमावली के, नियम 125 में, उप-नियम (5) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“बशर्ते कि नए मॉडलों के मामले में 1 अप्रैल 2028 को या उसके बाद विनिर्मित और सभी मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर 2028 को या उसके बाद विनिर्मित एम1 श्रेणियों के वाहन, समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 15546:2005 में निर्दिष्ट सामान को सुरक्षित रखने की अनिवार्यताओं को पूरा करेंगे।”

7. उक्त नियमावली के, नियम 125 के उप-नियम (8) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“बशर्ते यह भी कि नए मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर 2027 को या उसके बाद विनिर्मित और सभी मॉडलों के मामले में 1 अक्टूबर 2028 को या उसके बाद विनिर्मित एम1 श्रेणियों के वाहनों में, यदि आईसोफिक्स बच्चों की सुरक्षा (एंकरेज) सिस्टम, आईसोफिक्स बच्चों को उपर से बांधने (टॉप टीथर) एंकरेज और बच्चों के बैठने की सही व्यवस्था (आई-साइज़ सीटिंग पोजीशन) का प्रावधान हैं, तो उन्हें समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-182 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।”

8. उक्त नियमावली के, नियम 125-थ में उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम और परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4) 1 अक्टूबर 2027 को या उसके बाद विनिर्मित श्रेणी एम1 के वाहनो में यदि चालक उर्नीदापन और सजगता चेतावनी प्रणाली के प्रावधान हैं, तो वे समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-184 के अनुरूप होंगे। बशर्ते कि 1 अक्टूबर 2029 को या उसके बाद विनिर्मित परिवहन वाहनों के रूप में पंजीकृत किए जाने वाले एम1 श्रेणी के वाहनों में समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-184 के अनुरूप में चालक उर्नीदापन और सजगता चेतावनी प्रणाली फिट की जाएगी।”

[फा. सं. आरटी-11036/104/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 889(अ), दिनांक 16 सितंबर, 2020 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या दिनांक..... के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2026

G.S.R. 904(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said

Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

Draft Rules

1. Short Title and commencement- (1) these rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (herein after referred as the said rules), in rule 96, after sub-rule 11, following new sub-rule 12 and proviso shall be inserted, namely:-

“(12) M1 and N1 categories of vehicles, manufactured on and after 1st October 2028, and if provided with Advanced Emergency Braking System (AEBS), shall conform to AIS-185, as amended from time to time.

Provided that, M1 category of vehicles manufactured on and after 1st October 2030 in the case of new models and 1st October 2032 in the case of all models shall be fitted with Advanced Emergency Braking System, conforming to AIS-185, as amended from time to time.”

3. In the said rules, in rule 98, in sub-rule (3), after the first proviso, insert the following provisos: -

“Provided further that, for the vehicles manufactured on and after 1st October 2027, the steering effort on all motor vehicles, other than three-wheelers not fitted with a steering wheel, motor cycles and invalid carriages, shall conform to AIS-193, as amended from time to time.

Provided further that, M1 category vehicles manufactured on and after 1st October 2027, if provided with Automatic Command Steering Functionalities (ACSF), shall conform to AIS-193, as amended from time to time.

Provided also that, M1 category vehicles, to be registered as transport vehicles, manufactured on and after the 1st October 2029, shall be fitted with Automatic Command Steering Functionalities (ACSF) conforming to AIS-193, as amended from time to time.”

4. In the said rules, in rule 98, after sub-rule (5), the following new sub-rules (6) and proviso shall be inserted, namely: -

“(6) Vehicles of category M1 manufactured on and after 1st October 2027, if provided with Emergency Lane Keeping System (ELKS) shall conform to AIS-191 (Part 1), as amended from time to time.

Provided that M1 category vehicles, to be registered as transport vehicles, manufactured on and after, the 1st October 2029, shall be fitted with, Emergency Lane Keeping System (ELKS) conforming to AIS-191 (Part 1), as amended from time to time.”

5. In the said rules, in rule 124, in sub-rule (4), in the TABLE, in serial number 10, in column 3, after words, figures and bracket “Rule 125(1-A)” the words, figures and bracket “, Rule 125(1)” shall be inserted.

6. In the said rules, in Rule 125, in sub-rule (5), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that M1 categories of vehicles manufactured on and after 1st April 2028 in case of new models and 1st October 2028 in case of all models, shall meet the luggage retention requirements as specified in IS 15546:2005, as amended from time to time.”

7. In the said rules, in rule 125, in sub-rule (8), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that M1 categories of vehicles manufactured on and after 1st October 2027 in case of new models and 1st October 2028 in case of all models, if provided with ISOFIX anchorage systems, ISOFIX top tether anchorages and i-Size seating positions, shall meet the requirements as specified in AIS-182, as amended from time to time.”

8. In the said rules, in rule 125-Q, after sub-rule (3), the following sub-rule and proviso shall be inserted, namely: -

“(4) Vehicles of categories M1 manufactured on and after 1st October 2027, if provided with Driver Drowsiness and Attention Warning Systems shall conform to AIS-184, as amended from time to time.

Provided that M1 category vehicles, to be registered as transport vehicles, manufactured on and after, the 1st October 2029, shall be fitted with Driver Drowsiness and Attention Warning Systems conforming to AIS-184, as amended from time to time.”

[F. No. RT-11036/104/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.